<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 34/2020

1 कुरड़ाराम पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बिमलादेवी पुत्री सांवलराम पत्नी रतनसिंहा जाति जाट निवासी चारा काबास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

2 बनारसीदेवी पुत्री सांवलराम पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी भाटीवाड़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

3 रामेश्वर पुत्र सांवलराम जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

4 कजोड़मल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

5 मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गुढा गोड़ाजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पजीयंक उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील बखिलाफ निर्णय व डिकी न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बउनवानी मुकदमा
बिमला वगैरह बनाम रामेश्वर वगैरह मु.न. 219/2013
बखिलाफ आदेश व डिकी दिनांक 13.03.2020

१०६

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 30.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2020 में पारित निर्णय दिनांक 13.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम पंचायत बामलास की भूमि खसरा नं. 551, 653, 654, 655, 586, 1672/586, 1675/655, 1671/551, 1673/655, 1674/655, बाबत् घोषणा दूरस्ती रिकार्ड, मनसुख करने नामान्तरण संख्या 792 एवं विक्रय पत्र तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने अदालत मातहत में अपने जबाब दावे में अतिरिक्त उत्तर की धारा 1 व 2 में कानुनी एतराज किया था कि सांवलराम कि पैत्रिक सम्पति में अपीलांट कुरड़ाराम व रेस्पोडेन्ट सं. 3 रामेश्वर का जन्म लेते ही सांवलराम के साथ ही प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा हो गया था व उक्त सांवलराम की मृत्यु के समय उक्त सांवलराम के 1/3 हिस्से की जमीन का ही अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का दर हिस्सा 1/3 में से 1/12 प्रत्येक का हिस्सा होगा परन्तु अदालत मातहत ने इस बाबत ना तो तनकी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

कायम की व ना ही उक्त बिन्दु पर अपना विचार ही निर्णय में दर्ज किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अपनी शहादत पेश करने का पूरा समय ना देकर के अपीलान्ट की शहादत बन्द करने में गलती कानुनी की है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अदालत मातहत में उपस्थित होकर ने नामान्तरकरण सं. 792 दिनांक 20.07.2006 को सही होना माना है व अपने दावे की प्लीडिंग में धारा 3 में नामान्तरकरण सं. 792 अपने पिता सांवलराम के देहान्त के बाद में भरा गया है। जिसमें वादीयागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का नाम नहीं है। इससे ही अपीलान्ट की कहानी की ताइद होती है कि वादीयागण न. 1 व 2 ने अपना हक व हिस्सा छोड़ दिया था इस बाबत अदालत मातहत ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर उपर के पैरा में दर्ज भी किया है। अदालत मातहत ने तनकीवार शहादत का विवेचन नहीं कर वादीयागण के वाद को डिक्री करने में गलती कानुनी की है। अदालत मातहत ने बयनामा को सही मानकर के दावा को डिक्री करने में गलती कानुनी की है। अदालत मातहत ने वादीयागण के वाद का सही अवलोकना ना कर वादीया के वाद को डिक्री करने में गलती कानुनी की है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद कथन व जवाब दावें के आधार पर कुल 5 तनकी कायम की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर बाद सुनवाई तनकी वार निर्णय किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियां पैतृक है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता है कि वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग किया हो। वादीगण सांवलराम की पुत्रीयां होना निर्विवाद है। हिन्दु उत्त्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक सम्पति में जन्म लेते ही उसके जायज वारिसान का हक हिस्सा होता है। ऐसी स्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अदालत मातहत में अपने जबाब दावे में अतिरिक्त उत्तर की धारा 1 व 2 में कानुनी एतराज किया था कि सांवलराम कि पैत्रिक सम्पति में अपीलांट कुरड़ाराम व रेस्पोडेन्ट सं. 3 रामेश्वर का जन्म लेते ही सांवलराम के साथ ही प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा हो गया था व उक्त सांवलराम की मृत्यु के समय उक्त सांवलराम के 1/3 हिस्से की जमीन का ही अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक का दर हिस्सा 1/3 में से 1/12 प्रत्येक का हिस्सा होगा परन्तु अदालत मातहत ने इस बाबत ना तो तनकी कायम की व ना ही उक्त बिन्दु पर अपना विचार ही निर्णय में दर्ज किया है। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अदालत मातहत में उपस्थित होकर ने नामान्तरकरण सं. 792 दिनांक 20.07.2006 को सही होना माना है व अपने दावे की प्लीडिंग में धारा 3 में नामान्तरकरण सं. 792 अपने पिता सांवलराम के देहान्त के बाद में भरा गया है। जिसमें वादीयागण रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का नाम नहीं है। इससे प्रमाणित है कि वादीयागण न. 1 व 2 ने अपना हक व हिस्सा छोड़ दिया था इस बाबत अदालत मातहत ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 2 पर उपर के पैरा में दर्ज भी किया है। अदालत मातहत ने तनकीवार शहादत का विवेचन नहीं कर वादीयागण के वाद को डिक्री करने में गलती कानुनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना पारित किये जाने के कारण विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक साक्ष्य का तनकी वार विवेचन कर प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर